समाहरणालय, पूर्णियॉ
(जिला पशुपालन कार्यालय)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग,
बिहार पटना।

पूर्णियॉ , दिनांक.........................

विषय :— स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि संलग्न विविदा को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन हेतुभेजा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न निविदा को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :—

9/8/2014

DAHO

विश्वासभाजन

14/8/14

जिला पदाधिकारी
पूर्णियॉ।

ज्ञापंक 1053/प0पा0 दिनांक 19.8.014

प्रतिलिपि :— एन0आई0सी0 पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि विभागीय बेवसाईट में संलग्न निविदा को अपलोड करने की कृपा की जाय।

21/8/2014

DAHO.

14/8/1

जिला पदाधिकारी
पूर्णियॉ।

बिहार सरकार

समहरणालय पूर्णियाँ

(जिला पशुपालन कार्यालय)

अल्पकालिन निविदा संख्या - 01

उत्पादक/भंडारकर्त्ता/उप भंडारकर्त्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ सहाय कार्य के लिए भूसा/ कुट्टी (पुआल) का सील बंद निविदा पूर्णियाँ जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2014-15 एवं 15-16 आपूर्ति हेतु आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 15वें दिन शाम 5बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय पूर्णियाँ में निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी पूर्णियाँ की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा प्राप्ति के अगले दिन 3.00 बजे दिन को खोला जायेगा।

निविदा की शर्त्तें जिला पशुपालन पदाधिकारी,पूर्णियाँ के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 5000/-(पाँच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी,पूर्णियाँ के नाम से बैक ड्राफ्ट जो पूर्णियाँ शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।

2/7/15

जिला पदाधिकारी

पूर्णियाँ

निविदा की शर्त्ते

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/ कुट्टी (पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनिकी निविदा में निम्नलिखित शर्त्ते होगी :-
   - (क) 5000/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि असफल निविदादाता को वापस किया जा सकेगा।
   - (ख) उत्पादन,भंडारण,डीलरशिप, का प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   - (ग) ISI प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   - (घ) पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। (वाणिज्यकर विभाग से)
   - (ङ) VAT किलीयेरेंस प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   - (च) PAN कार्ड की छाया प्रति ।
   - (छ) विगत तीन वर्षो की आयकर रिर्टन छाया प्रति ।
   - (ज) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   - (झ) सामग्री का नमूना 500gm पारदर्शी पलास्टिक की थैला में सील बंद।
   - (ञ) सरकारी संस्था में आपूर्ति के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
   - (ट) वार्षिक टर्न आँवर (कम से कम दस लाख वार्षिक) की छाया प्रति ।
   - (ठ) सभी शर्त्ते मान्य होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. तकनिकी निविदा निविदादाता या उसके प्रतिनिधी के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नही होते है तो आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदादाता के लिए मान्य होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता का वित्तिय निविदा खेला जायेगा।
5. आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तिय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या आँवर राईटिंग मान्य नही होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति पूर्णियाँ जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
9. सफल निविदादाता को 15 दिनो के अंदर जिला पशुपनालन पदाधिकारी से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्त्ते तथा आपदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
10. सभी अंचलों में निर्दिष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता जिम्मेवार होगें।
11. भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुणवत्ता का होगा और उत्पादन से तीन माह ज्यादा पुराना नही होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नही होगी। (Annexure 'A')
12. 30 दिनो के अंदर आपूर्ति नही करने पर कुल मुल्य का 5% दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय आपदा समिति द्वारा लिया जायेगा।

13.किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यक नही पड़ने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।

14.शर्त्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति मे देरी या अनियमिता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई लिया जायेगा।

15.कोई भी विवाद होने पर आपदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।

16.सारी विवाद पूर्णियाँ न्यायालय के दायरे में होगा।

17.भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जॉच कराई जा सकती है।

18.आपूर्ति आदेश आवश्यक्तानुसार संबधित अंचलाधिकारी के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

Annexure 'A'

Sl.No.	Item	Specification
1	Wheat Straw (Bhusa)	Moisture less than 10%.Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10%.Without Fungus

4/3/16

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ